न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	न अ की हु
	ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा बनाम राज्य सरकार मु.नं.– 44/25 किस्म – T.I.	
	17.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश T.I. प्रा.पत्र लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 27.3.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	27.3.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
44/2025	27.05.2025	27.03.2026

बउनवान

ग्राम पंचायत बैजूपाडा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..**प्रार्थी/सायल**

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

उपस्थित

1. प्रार्थी – धर्मसिंह राजपूत।
2. अप्रार्थी सं. 02 – स्वयं।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी ग्राम बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा के खसरा सं. 540 रकबा 0.40 हैक्टे. में स्थित है। आराजी खसरा सं. 540 साबिक खसरा सं. 957/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से मिल कर बना है। जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 17.10.1989 को अपने पत्र क्रमांक 11(420)89/12482–487 द्वारा साबिक खसरा सं. 950 रकबा 16 बीघा 7 विस्वा में से एक बीघा 12 बीस्वा भूमि गै.मु. आबादी में संपरिवर्तित की गयी थी तथा साबिक खसरा सं. 957 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में से एक बीघा 12 बिस्वा भूमि गै.मु. आबादी में संपरिवर्तित की गयी थी और आबादी भूमि के नये नम्बर 950/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा तथा 957/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किये गये थे। जिला कलेक्टर जयपुर के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बसवा द्वारा अपने क्रमांक प.अ. 90/11 दिनांक 05.05.1990 द्वारा नामांतरकरण खोलने के आदेश दिये थे जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 526 ग्राम पंचायत के हक में दिनांक 05.05.1990 को स्वीकृत किया गया जिसमें खसरा सं. 950/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा गै.मु. को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दिया गया था। खसरा नम्बर 957/1 रकबा 1 बीधा 12 बिस्वा गै. मु. आबादी का अंकन ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने से रह गया। ग्राम पंचायत बैजूपाडा के हक में हाल खसरा सं. 540, जो कि खसरा नम्बर 957/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से बना है, पर शुरू से ही सायल ग्राम पंचायत बैजूपाडा के कब्जे में रहा है तथ सायल की कब्जे की भूमि रही है जो सायल की खातेदारी की भूमि होनी चाहिये थी जिसे वर्तमान में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज करते हुये गै.मु. स्कूल दर्ज किया हुआ है जबकि स्कूल भवन व खेल मैदान का इस भूमि से कोई

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मतलब नहीं है। स्कूल भवन एवं खेल मैदान अलग भूमि खसरा नम्बर 540/1418 में हुआ है जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 540 शुरू से ही ग्राम पंचायत के कब्जे की आ भूमि रही है जिसका उपयोग सायल अपनी सुविधा के अनुसार करती चली आ रही है जि आबादी बसी हुई है लेकिन उक्त भूमि के राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होने तथा उ गै.मु. स्कूल दर्ज होने से ग्राम पंचायत बैजूपाडा एवं आम जन को भारी परेशानी रहती है। कारण उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिला कलक्टर जयपुर आदेशानुसार उक्त भूमि का भी नामान्तरकरण खसरा नम्बर साबिक 950/1 रकबा 1 बीघा बिस्वा के अनुसार ही साबिक ख.नं. 957 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिससे बने हाल ख.नं. 5 का भी नामांतकरण वादी ग्राम पंचायत बैजूपाडा के नाम खुलना चाहिये था लेकिन राज कर्मचारियों की गलती से अथवा सहवन से जिला कलैक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 17. 1989 की सम्पूर्ण पालना नहीं की गयी जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। राज कर्मचारियों द्वारा किये गये उक्त गलत इन्द्राज से सायल के हक हकूक प्रभावित हो रहे तथा ग्राम पंचायत को अपने विकास कार्यों के लिये उक्त जमीन का जिला कलक्टर जयपु के आदेशानुसार मालिक होना चाहिये था तथा उसके नाम होनी चाहिये थी। इस कारण उ गलती को दुरूस्त किये जाने हेतु आपके समक्ष यह प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में हो र गैरसायल नं. 2 गै.मु. स्कूल के नाम को हजफ किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अस्था निषेधाज्ञा प्रस्तुत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की आड में गैरसायला मुझ सायल ग्राम पंचायत को उक्त आराजी से बेदखल करने पर उतारू है जिसक उन्हें कि भी प्रकार का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं. मु. आबादी की भूमि जो पंचायत क्षेत्र में आती है उस सम्पूर्ण भूमि की मालिक ग्राम पंचायत ही नियमानुसार होती है जबकि यहां गै.मु. स्कूल का इन्द्राज किया हुआ है जिससे ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा को भारी नुकसान हो रहा है। वादी द्वारा गैरसायल संख्या 1 व 2 से उक्त गलत इन्दाज को दुरूस्त किये जाने का कई बार निवेदन किया लेकिन गैरसायल के मन में बदयान्ती आने के कारण वो मानने को तैयार नही है तथा उन्होने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का फेरबदल करने का अधिकार नहीं होना बताकर दुरूस्ती किये जाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण सायल को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। सायल द्वारा उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार है लेकिन तहसीलदार बैजूपाडा प्रतिवादी नं. 1 उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में मुझे बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने से बमुकाम बैजूपाडा, तहसील महवा में पैदा हुई है। सायल का प्रथम दृ ष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को दौराने दावा पाबंद नहीं किया गया तो वे अपनी कुचेष्ठा में सफल हो जावेगें जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हैं। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो सायल के कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 540 रकबा 0.40 हैक्टे में सायल को किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मदाखलत बैजा ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से ही करावे तथा सायल को बेदखल नहीं करें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की दिनांक 17.06.2025 को एकपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध दिनांक 17.06.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 01 उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 540, रकबा 0.40 हैक्टे. के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बावत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा सं. 540 के प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है जबकि अप्रार्थी सं. 01 इसके दर्ज रिकॉर्ड खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र के जरिये विवादित आराजी में घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य के उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा । इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्ड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम बैजूपाडा, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 540 कुल रकबा 0.40 हैक्टे. में भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)